

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

कमॉक:- प.2 (सब)3659/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक:

कार्यालय आदेश

श्री रामनारायण जो सहायक कृषि अधिकारी के रूप में उप निदेशक कृषि (वि) जिला परिषद् सीकर में कार्यरत थे, को अधिवर्षिता की आयु पूरी कर लेने पर दिनांक 30.06.2021 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया गया था।

यह प्रमाणित किया जाता है कि उम्र नामित श्री रामनारायण के विरुद्ध:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(डॉ० ओम प्रकाश)


आयुक्त कृषि एवं पंचायती राज कृषि

दिनांक: 08/11/2021

कमॉक:- प.2 (सब)3659/आ.कृ./गुप-9/ 18180-86

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आक्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, जयपुर।
- 2- संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) सीकर, खण्ड सीकर।
- 3- उप निदेशक कृषि (वि) सीकर।
- 4- एनालिस्ट कम प्रोग्रामर मु० जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- 5- श्री रामनारायण, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय उप निदेशक कृषि (वि) जि.प. सीकर।
- 6- निजी पंजिका।


(कैलाश चंद मिश्रा)

संयुक्त निदेशक कृषि (प्रशासन)